

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री धर्मालाल

विपक्षी : श्री राज्य

किस्म मुकदमा -88 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 100 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 237

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 05.06.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता वादी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खातेदार माली पत्नी नवला गाडरी को गोदीना माता बताकरघोषणा चाही गई थी। वादी द्वारा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही खातेदार माली पत्नी नवला गाडरी फौत हो चुकी थी। जिसका वर्णन वादी द्वारा अपने वाद में किया गया है। वादी द्वारा गोदनामे के आधार पर घोषणा हेतु वाद इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है जबकि वादी को विरासत के नामान्तरकरण हेतु सक्षम न्यायालय तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण घोषणा का नहीं होकर विरासत के नामान्तरकरण का है जिसको सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार मावली को धारा 135(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनने का अधिकार है। अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निर्णय 3 माह में पारित कर निर्णय की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जरिये अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार मावली में दिनांक 26.06.2025 को उपस्थित रहे। वाद पत्र की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मावली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

